Cases lodged by Delhi Police

*290. SHRI RAM KUMAR KASHYAP: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of cases lodged by Delhi Police in the year 2016 and out of them how many cases have remained unsolved;

(b) what are the reasons for Delhi Police for not solving all the cases lodged during 2016;

(c) whether it is a fact that there is a rise in crime against women in Delhi and the steps taken by Delhi Police to check it; and

(d) the details of rape cases which are pending for more than five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total number of cases registered by Delhi Police, cases solved and unsolved during the year 2016 are as under:–

Crime category		Cases Registered	Cases solved	Cases unsolved
IPC cases	Heinous Crime	8238	6190	2048
	Non-Heinous Crime	201281	50423	150858
Non-IPC cases (Local and Special Laws)		7401	5660	1741

(b) The reasons for unsolved cases vary from case to case. However, some of the main reasons reported by the Delhi Police include non identification of accused person, the accused person being absconding and not traceable, stay on arrest of alleged accused by the Court or sufficient evidence has not come on record against the alleged accused.

(c) Delhi Police has reported that the total number of cases of crime against women registered by Delhi Police during the years 2015, 2016 and 2017 (upto 28.02.2017) are as under:–

Year	Cases registered
2015	12736
2016	11295
2017 (upto 28.02.2017)	1332

Delhi Police has taken several concrete measures to check the incidents of crime against women, which *inter alia* include dynamic identification of crime-prone areas, deployment of police resources including pickets, foot patrolling, PCR Vans and Emergency Response Vehicles (ERVs) to enhance visibility and prevent crime against women, self defence training to girls, increase in number of lines of emergency Helpline No.100/Women Helpline No.1091, 24x7 functioning of Special anti-stalking group in the Central Police Control Room and 24x7 Help Desks for Women in Police Stations.

(d) Delhi Police has reported that only one rape case registered *vide* FIR No. 109/12 u/s 363 and 376 IPC at P.S. Mehrauli, Delhi is pending for investigation for more than five years. The accused person, namely, Ashok Kumar could not be arrested despite best efforts made by the local police. Proceedings for proclamation u/s 82 CrPC have been initiated against the accused person on 15.11.2016. The next date of hearing is fixed for 07.04.2017.

श्री राम कुमार कश्यपः सभापति जी, जैसा कि मंत्री जी ने प्रश्न (क) के उत्तर में बताया है कि वर्ष 2016 में दिल्ली पुलिस द्वारा कुल 2,16,920 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 62,273 मामले सुलझा लिए गए हैं और शेष 1,54,647 मामले अनसुलझे हैं। ये अनसुलझे मामले बहुत ज्यादा संख्या में हैं और यह चिन्ता का विषय भी है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन शेष अनसुलझे मामलों को शीघ्र सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः माननीय सभापति जी, दिल्ली में अपराध के बारे में जो आँकड़े बताए गए हैं, उनमें मैं थोड़ा विभाजन करके बताना चाहूँगा। यहां पर जो भी मामले दर्ज हुए हैं, उनमें आई.पी.सी. के तहत जघन्य अपराध माने जाने वाले 8,238 मामले, गैर-जघन्य अपराध के 2,01,281 मामले और गैर-आई.पी.सी. के तहत 7,401 मामले थे। सभापति जी, इसमें अच्छी बात यह हुई है कि जो जघन्य अपराध हुए हैं, उनमें से 75 परसेंट मामलों को सुलझा लिया गया है, यानी 6,190 मामलों को सुलझा लिया गया है। इसी प्रकार, गैर-आई.पी.सी. के जो 7,401 मामले हैं, वे भी बड़े अपराध होते हैं, उनमें से भी 76 मामलों को सुलझाया गया है।

सदस्य जी ने जो पूछा है, उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यह सही है कि 2,01,281 मामलों में से 50,423 मामलों को सुलझाया गया है, जो कि 25 परसेंट रेट है। सभापति जी, इसकी वजह यह है कि इनमें बहुत-से अपराध ऐसे हैं, जो बहुत माइनर भी हैं और वे अपराध कौटुम्बिक कलह

की वजह से होते हैं। इनमें कोशिश यह होती है कि ऐसे मामलों में आपस में समझौता कराया जाए, इसलिए महिलाओं के द्वारा अपराध के जो मामले दर्ज कराए जाते हैं, उनको समझौते के लिए चर्चा हेतु पेंडिंग रखा जाता है, इसलिए ये अनसुलझे अपराध ज्यादा दिखते हैं। लेकिन, जहां तक जघन्य अपराध के गंभीर मामलों की बात है, तो उनमें पुलिस को भारी सफलता मिली है।

श्री सभापतिः दूसरा प्रश्न।

श्री राम कुमार कश्यपः सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में बलात्कार के जो मामले दर्ज हुए, उनमें ओबीसी एवं एससी/एसटी से संबंधित कितने मामले हैं और उनका conviction rate क्या है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, ओबीसी एवं एससी/एसटी के मामलों को हमने अलग से bifurcate नहीं किया है, लेकिन इसका जवाब हम सदस्य महोदय को अलग से writing में भेज देंगे।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सभापति जी, दिल्ली में कानून-व्यवस्था और पुलिस का नियंत्रण तो केंद्र के हाथ में है, मगर कई अन्य रचनाएँ दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। जैसे, उन्होंने कहा था कि हम हर एक बस में मार्शल देंगे। इसके साथ उन्होंने और भी कई वायदे किए थे, जैसे— वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे संपर्क स्थापित हो पाए। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली सरकार कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग कर रही है या नहीं?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस की पूरी मदद करती है। मैं विशेषकर यहां बताना चाहूंगा कि अभी इस वर्ष महिलाओं के प्रति बलात्कार के मामलों में जो अपराध हुए थे, वे पिछले वर्ष से कम हैं और इस बार जो 2,155 मामले दर्ज हुए थे, उनमें से 2,145 मामलों को सुलझाया गया है, सिर्फ 10 मामलों को सुलझाना बाकी है। महिलाओं के प्रति जितने अपराध हुए हैं, हर अपराध के मामले में सख्ती से तुरंत कार्यवाही करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। इसके लिए पुलिस ने काफी जगह चौकियां लगायी हैं। जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कई जगहों पर शराब पीकर सार्वजनिक स्थलों पर हंगामा करते हैं, उनमें से करीब 19,148 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। इसी प्रकार से बीपीओज़ के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि वहां से कोई भी महिला रात को अकेली न निकले, उसको उसके घर तक पहुंचाने के संबंध में गाइडलाइन्स बनायी गयी हैं, इस संबंध में सूचनाएं दी गयी हैं। महिलाओं के प्रति अपराध कम हों, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने आगे आकर काफी काम किए हैं, जिनमें "निगहबान" नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया है। सीसीटीवी कैमरे, जिनके बारे में हमने जनता को कहा था, उन्हें आह्वान किया हुआ था, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि 1,86,000 सीसीटीवी कैमरे शहर में लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने 4,167 सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिनसे काफी लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने 370 अतिरिक्त पीसीआर वैन्स सब पुलिस स्टेशंस को प्रदान की हैं, जो दिन-भर घूमती रहती हैं, जिनमें उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को दिल्ली पुलिस में जो 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा उसको implement किया जा रहा है, यहां महिला पुलिस की संख्या बढ़ायी जा रही है। महिलाओं की मदद के लिए helpline बनायी गयी है, 1091 और 100 नम्बर, इन दोनों नम्बरों पर पुलिस उनकी मदद करती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को आत्मसुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षण

दिया गया है। 2015 में 1,96,726 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया गया और 2016 में, इस वर्ष अभी तक 1,75,840 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रकार हर क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के द्वारा होम मिनिस्ट्री के माध्यम से महिलाओं को मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त "हिम्मत" app के माध्यम से उनकी काफी मदद हो रही है।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः क्या लोकल गवर्नमेंट उन्हें सहयोग कर रही है? Is the local Government co-operating or not?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः जी, लोकल गवर्नमेंट की मदद करने के लिए गृह मंत्रालय यह पूरी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस को और अधिक modernize करने के लिए जो भी जरूरत होती है, उसके लिए Police Modernization Fund दिया जाता है। इस प्रकार ऐसे कई नए-नए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के प्रति अपराध कम हों। दिल्ली पुलिस इसके लिए प्रयास करती है और इस साल अपराध कम भी हुए हैं।

श्रीमती जया बच्चनः सर, मंत्री जी बता रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो आपत्ति आ रही है, उसमें कमी आयी है — बंद नहीं हुई है। जो पुलिस कर्मचारी महिलाओं के साथ बद्तमीज़ी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सज़ा आपने तय की है और कितनी तय की है तथा आज तक आप उसमें कितने सफल हुए हैं, कृपया उसके बारे में बता दीजिए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, माननीय सदस्या का जो प्रश्न है कि महिलाओं के साथ पुलिस गैर-बर्ताव करती है, इस तरह की बातें कई बार सामने आती हैं। इस संबंध में जो भी शिकायत मिलती है, तो उसके संबंध में पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज होता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। मैं आज यहां पर माननीय सदस्या को detailed figures उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, मैं बाद में लिखित में उन्हें इसका जवाब अवश्य भेज दूंगा।

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, according to the written answer given in reply to this question, there are three categories of offences that are mentioned, heinous crime, non-heinous crime and non-IPC cases. The total of these has not been done. But I have done the total. It has come to 2,16,920 and the fact that there is a complete collapse of Criminal Justice System in Delhi is evident from the fact that the number of cases unsolved in these categories comes to 1,54,647 which means almost 75 per cent of the cases are unsolved by the Police. What kind of criminal justice can we expect in this country if this is the condition of the National Capital where the Central Government is directly responsible for the Police functions?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, इसमें जो मामले जघन्य अपराध और सामान्य अपराध के बताए गए हैं, इनके बारे में, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो गैर गंभीर मामले होते हैं, उनमें से ज्यादातर घरेलू मामले होते हैं। कोशिश यह होती है कि ऐसे मामलों में आपस में समझौता कराया जाए, इसलिए उसे हम यह नहीं कहते कि ...**(व्यवधान)**...

SHRI K. T. S. TULSI: I am talking about unsolved cases. Your figure says about unsolved cases. वे unsolved cases नहीं हैं।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः इसमें जो मामले होते हैं, मैं उनके बारे में अभी बताता हूं। जहां पर बलात्कार है, शील भंग है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है, ये सारी बातें इसमें आती हैं। इनको हम गंभीर मामले मानते हैं। डकैती के मामलों को भी गंभीर मामले मानते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चोरियां होती हैं, मामूली बातों पर झगड़े होते हैं, ऐसे मामलों को सुलझाने का रेट पूरी दुनिया में कम है। इसमें चोरी करने के बाद में अपराधी को trace करने में हर पुलिस को तकलीफ होती है। इसी तरह के मामले ज्यादा पेंडिंग होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि दिल्ली में ...**(व्यवधान)**... मैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI K. T. S. TULSI: The police is only concerned.. ...(*Interruptions*).... These are cognizable cases. ...(*Interruptions*)...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः यह रेट उसी से बढ़ा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा चोरी के मामले हैं। इसमें गाड़ियां चोरी होने का प्रमाण ... **(व्यवधान)**... दिल्ली, एन.सी.आर. में ज्यादा है। यहां पर व्हीकल्स ज्यादा चोरी होते हैं और व्हीकल्स चोरी की शिकायत करने के बाद में जो शिकायतकर्ता है, वह शिकायत करने के बाद में उसका फॉलोअप नहीं रखता है, क्योंकि उसको इंश्योरेंस मिल जाता है। इसलिए गाड़ियां चोरी होने के प्रमाण इसमें ज्यादा हैं। छोटी चोरियों के आरोपी नहीं मिलते हैं, यह बात भी सही है। मैं आपको और बताता हूं कि गंभीर अपराध, जितने गंभीर अपराध हैं, उनमें पुलिस को काफी ...**(व्यवधान)**...

SHRI K. T. S. TULSI: This is elementary. ...(*Interruptions*)... The police registers only cognizable cases. These are unsolved cognizable cases with the police. What is the condition of the police in Delhi?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)ः सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सचमुच में दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि जहां तक heinous crimes का सवाल है, more than 76 per cent cases को resolve करने में दिल्ली पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जहां तक ... **(व्यवधान)**...

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, 76 per cent are unsolved. According to the answer, 76 per cent are unsolved in the year. This is the written answer.

MR. CHAIRMAN: No, these are heinous crimes. ...(*Interruptions*)... आप बात सुन लीजिए। No, no. Please, listen to the hon. Minister. ...(*Interruptions*)...

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, मैं heinous crimes की बात कर रहा हूं कि heinous crimes, more than 75 per cent, approximately 76 per cent cases को resolve करने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। जहां तक non-heinous crimes का सवाल है, more than 25 per cent cases को दिल्ली पुलिस ने resolve करने में कामयाबी हासिल की है।

सभापति जी, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया के किसी देश के आंकड़ों को उठाकर आप देख लीजिए, जहां तक non-heinous crime का सवाल है ...**(व्यवधान)**... उसको resolve करने का इस समय हमारे पास जो 25 परसेंट है और जिसकी जानकारी हमने आपको दी है, यही रहता है, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो,

आप उसके आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जो छोटी-मोटी घटनाएं हुईं — किसी को चोट लग गई, तो वह non-heinous crime में आ गया, किसी की जेब से कोई कलम निकाल ले, तो वह non-heinous crime में आ गया। ...**(व्यवधान)**...

SHRI K. T. S. TULSI: These all are punishable with more than three years. Police registers only cognizable offences. ...(*Interruptions*)... They wait for a murder to take place. They do not act otherwise. ...(*Interruptions*)...

श्री राजनाथ सिंहः मैं कहता हूं कि आप दुनिया के किसी भी देश के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

Creation of employment opportunities for local people in tourism sector

*291. SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tourism development is capable of creating employment opportunities for local people;

(b) if so, whether Government has taken sufficient concrete measures in this direction; and

(c) if so, the details thereof and also the data on employment generated in the last three years in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The tourism sector is a major generator of employment. The National Tourism Policy also recognizes the direct and indirect multiplier effect of the tourism sector for employment generation. As per the 2nd Tourism Satellite Account of India (TSAI)- 2009-10 and subsequent estimation for the next three years namely 2010-11, 2011-12 and 2012-13, the contribution of tourism to total employment of the country during 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13 were 10.17% (4.37% direct and 5.80% indirect), 10.78% (4.63% direct and 6.15% indirect), 11.49% (4.94% direct and 6.55% indirect) and 12.36% (5.31% direct and 7.05% indirect), respectively.

The Ministry of Tourism has taken several steps for boosting the growth of tourism in the country which in turn generate employment opportunities for local people:

(i) The Ministry of Tourism has launched the Swadesh Darshan scheme in the year 2014-15 with a vision to develop theme based tourist circuits.

(ii) The National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation